न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 592/2017

1. बालूराम पुत्र स्व. श्री प्रभात
2. मदनलाल } पुत्रान स्व. श्री भंवरा
3. पप्पूराम
4. नारूराम
5. सीताराम } पुत्रान स्व. श्री गोपीराम
6. सुरेश
7. मानसिंह पुत्र स्व. श्री मालाराम

} जाति यादव, निवासी ग्राम द्वारिकपुरा, ढाणी कांकरी की ढाणी तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

– अपीलान्टस/प्रतिवादीगण –

बनाम

1. मिश्री देवी पत्नी स्व. श्री प्रहलाद
2. गिरिराज पुत्र स्व. श्री प्रहलाद

} जाति अहीर, निवासी ग्राम द्वाकिरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

3. श्रीमती इमरती देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद धर्मपत्नी श्री हनुमान प्रसाद यादव, जाति अहीर निवासी ग्राम पो. मोठूका, ढाणी नया कुआं, वाया पाटण, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

4. कमला देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नी श्री रामनिवास यादव, मु.पो. मोठूका, ढाणी नया कुआं, वाया पाटण, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

5. श्रवण देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद, पत्नी श्री दारासिंह, मु.पो. ढाणी अहीरान, वाया पाटण, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

6. कृपादेवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नी भूपसिंह यादव मु.पो. ढाणी अहीर।न, वाया पाटण, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

7. मुकेश देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नी श्री महेन्द्र यादव, मु.पो. खरकडा, वाया पाटण, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

8. सुमन देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नी श्री विकास यादव, मु.पो. खरकडा वाया पाटण, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

9. संतोष देवी पुत्रियान स्व. प्रहलाद पत्नी श्री विजयपाल यादव, मु.पो. खरकडा वाया पाटण, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

–रेस्पोडेंट्स –

10. नत्थुराम } पुत्रान भंवरा
11. मदनलाल
12. श्रीमती सोनी धर्मपत्नी स्व. श्री गोपीराम
13. रामदयाल } पुत्रान गोपीराम
14. कालूराम

} जाति यादव, निवासी ढाणी कांकरी की ग्राम द्वाकिरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

15. श्रीमती मिश्री देवी पत्नी स्व. श्री नारायण
16. रतिराम ⎫ पुत्रान नारायण
17. सुरेश ⎭
18. श्रीमती सरबती धर्मपत्नी मालाराम
19. रामौतार ⎫ पुत्रान मालाराम
20. सुन्दर ⎭

(15 से 20) जाति यादव, निवासी ढाणी कांकरी की ग्राम द्वाकिरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
22. उप पंजीयक कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोडेंट्स—

उपस्थित अधिवक्तागणः—

1— श्री संजय शर्मा अपीलांट की ओर से।

2— श्री मदन लाल कुडी रेस्पोडेंट की ओर से।

:— निर्णय :— दिनांक :— 16—03—2018

1— यह अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर कोटपूतली दिनांक 03—07—2017 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. उनवानी बालूराम व अन्य बनाम मिश्री देवी व अन्य वाद संख्या 247/2013 प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 12—12—2013 को ग्राम दांतिल, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 1147, 1148, 1156, 1157, 1159 एवं 1160 (रकबा अथवा कुल रकबा अंकित किये बिना ही) के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया जिसे दर्ज कर दिनांक 8—1—2014 को अपीलान्टस/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने का आदेश दिया किन्तु वाद पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय ने तलबाना—नोटिस भरकर पेश होने पर तलबी जारी करने का पुनः आदेश दिया। वाद पत्र के साथ तथा उक्त आदेश की पालना में वादीगण/रेस्पोडेंट ने नोटिस प्रस्तुत किये जिन्हें तामील कुनिन्दा द्वारा समय अभाव के कारण तामील करवाया जाना संभव ना होने के कारण वापस लौटा दिये तथा आगामी दिनांक 17—02—2014, 22—4—2014, 28—5—20174, 20—6—20174 तथा 4—7—2014 तक कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और दिनांक 30—7—2014 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध अधिवक्ता वादी की प्रार्थना पर सीधे ही दिनांक 25—8—2014 की पेशी के लिए रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये जिसकी पालना में रेस्पोडेंट की ओर से पेश किये गये रजिस्टर्ड नोटिस पर अंकित अपूर्ण पते में तहसील कोटपूतली को काटकर प्रागपुरा अंकित करते हुए नोटिस डाक द्वारा समाहित प्रसारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसारित नोटिस डाक विभाग द्वारा तथाकथित रूप से तहसील प्रागपुरा भेजे गये जहां अपीलार्थीगण का कोई निवास नहीं है और ना ही तहसील प्रागपुरा में द्वारिकपुरा नाम को कोई ग्राम ही है किन्तु फिर भी पोस्टमैन द्वारा उक्त नोटिसों पर ग्राम में इस नाम का कोई आदमी ना होना तथा लेने से इनकार करने की रिपोर्ट की जिसे पर्याप्त तामील मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22—9—2014 को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 11 से 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 16 का नोटिस जरिये दैनिक समाचार पत्र व तरतीबी प्रतिवादीगण के नोटिस तलबाना भरकर पेश करने का आदेश प्रदान किया उसके पश्चात् प्रकरण में कुल 10 पेशियां दिनांक 20—10—2014 से 12—8—2015 तक नियत की गई लेकिन उक्त पेशियों में आदेश दिनांक 22—9—2014 की पालना के सन्दर्भ में कोई तथ्य अंकित नहीं है और दिनांक 6—10—2015 को प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

10 व 16 के बावजूद तामील अनुपस्थित होना अंकित कर उनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया तथा प्रारूपिक प्रतिवादीगण बिना तामील के ही वकालतन न्यायालय में उपस्थित हो गये जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय एवं रेस्पोडेंटसं के मध्य हुए षडयन्त्र को स्पष्ट सिद्ध कर रहे हैं। अपीलार्थीगण तथा प्रारूपिक रेस्पोडेंट के विरूद्ध वास्तविकता में वाद पत्र के साथ नोटिस एवं तलबाना पेश ही नहीं किये गये तथा ना ही कभी अपीलान्ट को तामील ही करवाये गये। विचारण न्यायालय ने प्रथम तो कोई नोटिस अपीलान्टस के विरूद्ध प्रसारित नहीं किये ता ना ही कुनिन्दा अपीलान्टस/प्रतिवादीगण के समक्ष ऐसे किसी नोटिस की तामील करवाने हेतु उपस्थित हुआ और ना ही अपीलान्टस/प्रतिवादीगण ने कभी नोटिस लेने से इन्कार ही किया द्वितियतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही पंजीकृत डाक से नोटिस जारी करने का अवैध आदेश प्रदान कर दिया जिन पर भी अवैध रूप से गलत पता अंकित है जिन्हें लेकर भी कभी कोई डाकिया अपीलान्टस के पास नहीं आया, ना ही उक्त विधि विरूद्ध नोटिसों की तामील से अपीलान्टस ने कभी ईन्कार ही किया परन्तु फिर भी वादीगण ने षडयन्त्र कर उक्त नोटिसों की पुष्टि पर अपीलान्टस/प्रतिवादीगण द्वारा मौजूद मिलने के उपरान्त भी नोटिस लेने से इन्कार करने तथा इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में न होने की असत्य रिपोर्ट अंकित करवा कर विचारण न्यायालय को भिजवा दिये जिनकी जांच किये बिना ही विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर अवैध रूप से दिनांक 17–3–2016 को वादीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 9 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो कतई अवैध एवं विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विधि के सम्मत सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध बिना व्यक्तिगत तामील करवाये तामील को पर्याप्त मानते हुए अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 12, 17, 19, 20, एवं 21 के बाध्यकारी प्रावधानों के विपरीत की गई कार्यवाही है। सहायक कलक्टर द्वारा प्रसारित उक्त अवैध एवं विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 17–3–2016 की जानकारी होते ही अपीलान्टस ने उनके समक्ष दिनांक 31–5–2016 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 3–7–2017 द्वारा निरस्त फरमा दिया जो कतई अवैध एवं विधि विरूद्ध आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील में आधार लिये गये है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह स्वयं ने यह निष्कर्ष अंकित किया है कि तामील कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 व 19 लगायत 25 के नोटिस समय अभाव के कारण तामील नहीं करवायें उक्त नोटिस मूल पत्रावली में सलंग्न है किन्तु फिर भी जान–बूझकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने के बजाय मनमाने तरीके से अवैधानिक तरीके से सम्मनों पर अंकित रिपोर्ट को पर्याप्त तामील मानते हुए अवैध निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा तामील के संबंध में अंकित की गई आपत्तियों के सम्बन्ध में अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित ही नहीं किया कि साधारण प्रक्रिया से तामील करवाये बिना सीधे पंजीकृत डाक से तामील करवाने का आदेश विधि विरूद्ध है या नहीं और ना ही यह अंकित किया कि ग्राम द्वारिकपुरा जो कि तहसील कोटपूतली का ग्राम है कि तहसील प्रागपुरा अंकित कर प्रेषित किये गये नोटिस प्रतिवादीगण को कैसे प्राप्त हो सकते थे तथा प्राप्ति रसीद पर अंकित अंगूठा निशानी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की है या किसी अन्य व्यक्ति की और बाकी प्रतिवादीगण ने नोटिस लेने से इन्कार किया है वह रिपोर्ट सत्य है अथवा नही। पंजीकृत डाक के लिफाफे के देखने मात्र से यह तथ्य स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि जान–बूझकर तथा बदनियति पूर्वक उक्त नोटिस ऐसे स्थान पर भेजे गये जहां ना तो प्राप्तकर्ता निवास करते है और ना ही उन के उक्त पते पर मिलने की अन्यथा कोई संभावना हो सकती है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य ज्ञान का अपने न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना ही नोटिसों

की तामील को सम्यक रूप से एवं पर्याप्त मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 9 नियम 13 को मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि "वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही जगह के निवासी है तथा न्यायालय के समक्ष उक्त वाद लगभग 3 वर्ष तक लंबित रहा है इसलिए प्रतिवादीगण को विचाराधीन वाद की जानकारी ना हुई हो यह असंभव है तथा विक्रय पत्र दिनांक 14–7–77 की भी उन्हें पूर्ण जानकारी थी लेकिन वे जान–बूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये। तथा अब जबकि वाद वादी डिक्री किया जा चुका है तो उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है" और आवेदन खारिज कर दिया जो कतई मनमाना, आधारहीन क्यासों/अवधारणाओं पर आधारित अवैध निर्णय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष तामील कें संबंध में वादीगण द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया यह स्पष्ट सिद्ध करती है कि वादीगण ने जान–बूझकर अपीलार्थीगण को वाद के विचारधीन होने की जानकारी देने से षडयन्त्र पूर्वक अनभिज्ञ रखा है। एक ओर तो तामील कुनिन्दा से न्यायालय द्वारा प्रसारित साधारण नोटिसों को समयाभाव का कारण अंकित करवाते हुए तामील नहीं करवाये तथा दूसरी ओर पंजीकृत डाके नोटिसों को अलग तहसील में भेजा गया जहां अपीलार्थीगण के मिलने या नोटिस लेने से इन्कार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं तामील संबंधी साक्ष्य यह सिद्ध करती है कि अपीलार्थीगण को जान–बूझकर वाद के विचाराधीन होने तथा उसमें उपस्थित होने व कार्यवाही करने से अलग रखा गया है। अपीलान्टस द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 में यह वैधानिक आपत्ति अंकित की है, कि विचारण न्यायालय साधारण प्रक्रिया से तामील करवाये बिना प्रतिस्थापित पद्धति से नोटिसों की तामील नहीं करवा सकते किन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्तों को निर्णित किये बिना ही रेस्पोडेंट द्वारा षडयन्त्र पूर्वक तामील करवाये गये नोटिसों की तामील को पर्याप्त मानने का कोई कारण, आधार व न्यायिक निष्कर्ष प्रश्नाधीन निर्णय में अंकित किये बिना ही आदेश 9 नियम 13 में अंकित तथ्यों एवं विधि के सुस्थापित प्रावधानों व अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का कोई अध्ययन व परिशीलन किये बिना ही मनमाने रूप से अवैध एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए, अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पारित निर्णय को बहाल रखने का अवैध निर्णय पारित किये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन अपीलार्थीगण पर तामील करवाये गये नोटिस व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 12, 17, 19, 20 एवं 21 के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त तामील नहीं माने जा सकते है,। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय प्रसारित किये जाने में विधि एवं क्षेत्राधिकार संबंधित अनेक गम्भीर त्रुटियां की है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–7–2017 एवं 17–3–2016 निरस्त फरमाई जावें।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में साधारण नोटिस तामील करवाये बगैर पंजीकृत डाक से तामील प्रेषित की गई है तथा वह भी गलत तहसील दर्ज कर प्रेषित की गई है। उक्त तामील अपीलान्टस पर नहीं हुई है तथा डाकिये की इन्कारी की रिपोर्ट को सही मानते हुए इसे पर्याप्त तामील मानी गई है जो कि अनुचित है तथा अपील स्वीकर फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.आर. 1997 (2) 413 प्रस्तुत किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। सादा नोटिस तामील नहीं होने पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये हैं। बालूराम व मदनलाल

द्वारा स्वयं नोटिस प्राप्त किये गये हैं तथा अन्य अपीलान्टस द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया गया है। प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जो खारिज फरमाई जावे।

7— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वाद संख्या 247/2013 से संबंधित पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सर्वप्रथम सादा नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये गये हैं जिन पर तामील पुनिन्दा द्वारा समय अभाव से नोटिस तामील नहीं करवाये जाने की टिप्पणी की गई है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के जरिये रजिस्टर्ड डाक तामील करवाये जाने की प्रार्थना किये जाने पर दिनांक 30.07.2014 को रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 12.08.2014 को प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस प्रेषिति किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पावती से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलान्टस संख्या 1 व 2 द्वारा व्यक्तिशः नोटिस प्राप्त किये गये हैं तथा अपीलान्ट संख्या 3 लगायत 7 द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जहां तक गलत तहसील अंकित किये जाने का प्रश्न है वह उचित नहीं है क्योंकि पते पर जो प्रागपुरा अंकित किया गया है वह तहसील कोटपूतली की उप–तहसील है तथा ग्राम द्वारिकपुरा उप–तहसील प्रागपुरा तथा तहसील कोटपूतली में स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र प्रदर्श–1 तथा जमाबन्दी प्रदर्श–4 से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण एक ही पूर्वज प्रभात के वंशज है। प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 द्वारा व्यक्तिशः तामील प्राप्त की गई है तथा उनका अपील में किया गया यह कथन कि उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है वह पूर्णतया असत्य है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को प्रकरण की बखूबी जानकारी रही है तथा दिनांक 14.08.2014 को उन पर की गई तामील के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2016 तक वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आये तथा उनके द्वारा अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। वाद में अन्तिम निर्णय दिनांक 17.03.2016 को पारित किया गया था तथा अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2016 को प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र में निर्णय दिनांक 17.03.2016 की कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में भी जानकारी न होने तथा तामील प्राप्त न होने का असत्य कथन अपीलान्टस द्वारा किया गया है। प्रकरण में अन्य पक्षकारान् द्वारा कोई अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत नही की गई है न ही उनके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा मात्र ये आधार यह लिये गये हैं कि सादा नोटिस जारी किये बगैर रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा तामील करवाई गई है तथा उक्त रजिस्टर्ड नोटिस में गलत तहसील अंकित की गई है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त आधारों में कोई विधिक बल निहित नहीं है। प्रकरण में सादा नोटिस तामील नहीं होने पर प्रतिस्थापित तामील रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस के आदेश दिये गये हैं तथा उक्त नोटिस अपीलान्टस संख्या 1 व 2 द्वारा व्यक्तिशः प्राप्त किये गये हैं तथा अन्य द्वारा इन्कार किया गया है। तहसील का अंकन भी गलत किया जाना नहीं पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य चस्पा नहीं होते है। अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से वह अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

8— अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–07–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 16–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर